संख्या- 6 /1498/26-3-2013

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 25 सितम्बर, 2013

विषय :- शैक्षिक सत्र 2013-14 के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु सामान्य दिशा निर्देशों से संबंधित हैण्डबिल्स छपवाने एवं शिक्षा विभाग के माध्यम से संस्थानों को उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2502/स0क0/शिक्षा-अ/2013-14, दिनांक 24 सितम्बर, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2013-14 के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु सामान्य दिशा निर्देशों से संबंधित हैण्डबिल (प्रति संलग्न) की छपाई पर अधिकतम सीमा रू0 0.25 प्रति हैण्डबिल की दर से विगत वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या के अनुरूप जनपद स्तर पर स्वच्छ एवं पठनीय हैण्डबिल छपवाकर दिनांक 28-09-2013 तक प्रत्येक शिक्षण संस्थान को इस निर्देश के साथ उपलब्ध करा दिये जायें कि शिक्षण संस्था द्वारा प्रत्येक पात्र छात्र/छात्रा को यह हैण्डबिल अवश्य उपलब्ध करा दिये जायें। तदनुसार कृपया पात्र छात्र/छात्राओं से आन लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। मुद्रित हैण्डबिल की प्रति प्रत्येक

http://shasanadesh.up.nic.in

जनपद से मांग कर एक-एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाये।

उक्त प्रयोजन में आने वाला व्यय भार जनपदों के स्तर पर मानक मद कार्यालय व्यय में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा तथा इसके लिए अलग से कोई धनराशि स्वीकृति नहीं की जायेगी।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
उप सचिव

संख्या- 1498(1)/26-3-2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, पिछडा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

शैक्षिक सत्र 2013-14 के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु सामान्य निर्देश

- राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से गरीब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं को जिनके परिवार की वार्षिक आय रू0 2.00 लाख तक है, का शैक्षिक स्तर को सुदृढ. करने हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति करने की व्यवस्था है। शैक्षिक सत्र 2013-14 के लिए आन लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने की प्रक्रिया हेतु मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है :-
- दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति में पारदर्शिता तथा पात्र अभ्यर्थियों को सरलतापूर्वक एवं त्वरित गति से लाभ प्राप्त हो सके, इसके लिए अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र दिनांक 01-10-2013 से 31-12-2013 तक केवल आन लाइन ही स्वीकार किये जायेंगे।
- दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अभ्यर्थी को वेबसाइट http://scholarship.up.nic.in पर आन लाइन निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना अनिवार्य है। अन्य किसी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- आवेदन करते समय इस बात की पूरी सावधानी बरती जाय कि कोई त्रुटि न होने पाये। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त कर दिये जायेगें।
- अभ्यर्थी आन लाइन आवेदन पत्र प्रेषित (submit) करने से पूर्व आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट प्राप्त कर उसकी सभी प्रविष्टियों का मिलान करके संतुष्ट होने के उपरान्त ही आवेदन पत्र submit करें।
- आन लाइन आवेदन करने पर अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन नम्बर स्वत: सृजित होगा, जिसके आधार पर अभ्यर्थी अपना आन लाइन आवेदन पत्र भरेगा

http://shasanadesh.up.nic.in

एवं भविश्य में अपने प्रार्थना पत्र के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है।

- अभ्यर्थी को आन लाइन submitted आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट के साथ समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित (Self attested) छायाप्रतियां संलग्न कर आवेदन पत्र submit करने के 07 दिन के अंदर शिक्षण संस्थान में जमा करना आवश्यक होगा।
- आन लाइन आवेदन के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात वेबसाइट लाक कर दी जायेगी तथा उसके बाद कोई आवेदन किया जाना सम्भव नहीं होगा।
- अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि उनके आवेदन पत्र में अंकित बैंक खाते में जनपद कोषागार से e-payment प्रक्रिया के तहत NEFT/RTGS से सीधे प्रेषित की जायेगी, जिससे पात्र छात्र/छात्राओं को सुगमता एवं शीघ्रता से धनराशि प्राप्त हो जायेगी।
- अभ्यर्थी को निम्नलिखित स्तर पर आवेदन पत्र में अंकित मोबाइल नम्बर पर एसएमएस द्वारा सूचित किये जाने की व्यवस्था है :-
    1. आनलाइन आवेदन submit करने पर।
    2. शैक्षिक संस्थान द्वारा अभ्यर्थी का विवरण सत्यापित करने पर।
    3. जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति द्वारा स्वीकृत करने पर।
    4. अभ्यर्थी के बैंक खाते में धनराशि प्रेषित करने पर।
- दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश आवेदन पत्र, धनराशि प्रेषण समय सारणी एवं अन्य जानकारी वेबसाइट http://scholarship.up.nic.in पर देख सकते हैं तथा डाउनलोड कर प्रिन्ट आउट भी लिया जा सकता है।

http://shasanadesh.up.nic.in